

डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम-हिण्डौन जिला करौली
इजलास

पीठासीन अधिकारी :-

प्रकरण सख्या:-27/2006

हेमराज गुर्जर, R.A.S.

दायर दिनांक:- 01.02.2006

जीसीएमएस नं. 2006/00070

रामभजन पुत्र रामपाल उम्र 60 साल जाति धाकड निवासी भायलापुरा हिण्डौन
तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली

-----वादी

बनाम


1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर जिला करौली व मुकाम कलेक्ट्रेट करौली
2. रामदास पुत्र धनीराम जाति धाकड (मृतक)
2/1 रूपसिंह उम्र 45 साल
2/2 गेपाल उम्र 40 साल
2/3 धर्मसिंह उम्र 35 साल
2/4 विमला उम्र 38 साल पुत्री रामदास पत्नि रूपसिंह जाति धाकड निवासी
ऐंचौली झील के बाडे के पास तहसील बयाना
3. तहसीलदार तहसील हिण्डौन व मुकाम तहसील हिण्डौन लेण्ड होल्डर
--प्रतिवादीगण-07

दावा बाबत इस्तकरारहक एवं करेक्शन ऑफ एन्ट्रीज

मुकदमा नं0 27/2006

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे हाजिरी श्री पी एल गोयल एडवोकेट मिन कानिव मुदई रुबरु श्री बनवारी लाल गोस्वामी एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकी दी जाती है वादी ने इस संबंध में हाल में साबिक नक्शा शीट व जमाबन्दी भी पेश नहीं किये जिससे की उक्त रकवा के संबंध में सम्पूर्ण स्थिति न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस प्रकार वादी अपनी सम्पूर्ण दस्तावेजी व जुबानी सहादत से उक्त वादपत्र को साबित करने असफल रहा है। अतः वादी का दावा खिलाफ प्रतिवादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 88 खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31-7-2024 को यह डिकी जारी की गई।


(हेमराज गुर्जर) 31/7/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली